राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकःप.35(4)गृह–9/2017पार्ट–2 जयपुर, दिनांक :– 24-09-2021

परामर्शदात्री

वर्तमान में राज्य में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)–2021 दिनांक 26–09–2021 को आयोजित होने जा रही है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)–2021 में लगभग 16 लाख परीक्षार्थीयों द्वारा भाग लिया जायेगा एवं बडे स्तर पर परीक्षार्थीयों का राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में आवगमन होगा, ऐसी स्थिति में फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाहें, पेपर लीक की अफवाहें आदि से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे कि संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक द्वारा पब्लिक ऑर्डर बनाये रखने के लिये तत्समय स्थिति का आंकलन कर संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2017 के अनुसार लोक सुरक्षा (Public Safety) अथवा लोक आपात (Public Emergency) को दृष्टिगत रखते हुये संभागीय आयुक्त द्वारा इन्टरनेट बन्द करने का निर्णय पारित किया जा सकता है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त महानिरीक्षक–पुलिस, रेन्ज।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर व जोधपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
9. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव